

ख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तागील
में जारी हुए


19.11.19

पत्रावली पेश की। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री-
आदेश की पासना में जारी हुक्मनामा आदेश दिनांक 6.11.2019 की
पासना में तस्खिलदार इंगला के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ
जिसे शीघ्र पत्रावली किया गया। परसुर फर्द बंटवाडा का अक्लोकन
किया गया। सुराबिक आदेश केनेई इन्क फर्द बंटवाडा वह वही
ठिकानाद्वारा फाईनल डिक्री किया जाता है।

मौजा - इंगला

नाम स्वामिदार	भारती नम्बर	रकबा
1) श्री मनोहर लाल पिता छोगालाल मेहरा सा. डेह	630 631	0.2200 ई. 0.8200 ई.
किता - 2		1.0400 ई.
2) श्री कालु लाल पिता छोगालाल मेहरा सा. डेह	644 2409/644/1	0.8000 ई. 0.1230 ई.
किता - 2		0.9230 ई.
3) सोहनी बाई पत्नी श्रीरुलाल गंगाबाई पति श्रीरुलाल बहीर सा. खेडाभरिया	2409/644/प्र.	0.9570 ई.
किता - 1		0.9570 ई.
<u>मौजा माराखेडा</u>	4	2.3520 ई.
4) श्री कालु लाल पिता छोगालाल मेहरा सा. इंगला		
किता - 1		2.3520 ई.

उक्त विभाजन के स्वामिदार सोहनी बाई पत्नी श्रीरुलाल का विस्तार
उक्त माराखेडा में 808 साखा इंगला के रकम दर्ज है किंतु
सोहनी बाई का विस्तार विभाजन के माराखेडा में नहीं रहने के कारण इंगला
में विस्तार के बाई अर्ध पर रकम दर्ज करने की संभावना थी
जाके। उपरोक्तानुसार राजल देकाड में अमल दरमद किया
जाके। डिक्री पत्र अलग से प्रीक में पत्रावली केवल
शुभाहक नम्बर से करे।


 उपखण्ड अधिकारी
 इंगला